सरल कानूनी ज्ञान माला - 7

वैश्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून

विषय सूची

महिलाओं की लैंगिक शोषण से सुरक्षाः-

(क) वेश्यावृत्ति और एड्स

(ख) महिलाओं को वेश्यावृत्ति से कैसे बचाया जाय?

(1) कानून में वेश्याओं से क्या अभिप्राय है।

(2) सुधार संस्थाएं वेश्याओं के लिए कैसे सहायक बन सकती हैं?

(3) वेश्यावृत्ति का कानून में क्या अर्थ है?

(4) क्या कॉल गर्ल वेश्यावृत्ति की परिभाषा में आती है?

(5) क्या रखैल वैश्या है?

(6) संरक्षित गृह का क्या अर्थ है?

(7) विशेष पुलिस ऑफिसर को ही महिलाओं के वेश्यावृत्ति अपराधों में अन्वेषण करने एवं उसके निवारण करने के अधिकार निहित हैं।

(8) वेश्यागृह चलाने या परिसरों को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने देने के लिए दण्ड की व्यवस्था।

(9) वेश्यावृत्ति से अर्जित किए गए धन पर निर्वाह करना अपराध है।

(10) स्त्री या लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए उपाप्त करना, उत्प्रेरित करना या ले जाना, अपराध है।

(11) किसी स्त्री या लड़की को ऐसे परिसर में निरूद्ध करना जहां वेश्यावृत्ति की जाती है, गंभीर अपराध है।

(12) सार्वजनिक स्थानों में या उनके समीप वेश्यावृत्ति दण्डनीय अपराध है।

(13) वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए विलुब्ध करना या याचना करना कानून जुर्म है।

(14) अभिरक्षा में स्त्री या लड़की को विलुब्ध करना अपराध है।

(15) वेश्यातवृत्ति की शिकार महिलाओं के लिए अधिनियम की धारा 10 में सदाचार की परिवीक्षा और सुरक्षा गृह में निरोधा की व्यवस्था है।

(16) भुगत भोगियों को सुधार गृह में रखना।

महिलाओं की लैंगिक शोषण से सुरक्षा

(क) वेश्यावृत्ति और एड्स :-

एड्स अर्थात् एक्वायर्ड इम्यून डेफीश्येन्सी सिन्ड्रोम ऐसी आतंकपूर्ण और भयानक बीमारी का नाम है जिसका आज तक कोई इलाज तक नहीं निकला और न ही जल्द निकलने की उम्मीद नजर आती है। एड्स का अर्थ है रोग से रक्षा से शरीर की निजी प्रणाली का कमजोर पड़ जाना। एड्स जिस वायरस से होता है उसका नाम वैज्ञानिकों ने एच.आई.वी. वायरस रखा है। वायरस का सबसे अधिक जमाव वीर्य में होता है। इसलिए एड्स के संक्रमित होने का तब तक कोई खतरा नहीं जब तक खाल पर खाज या छिलाव जैसी कोई दरार न हो। इसलिए सामान्य मैथुन की अपेक्षा समलिंग मैथुन में इसका सबसे अधिक खतरा होता है क्योंकि शरीर रचना और क्रिया की दृष्टि से गुदा मैथुन के लिए नहीं बनी है इसलिए सामान्य मैथुन की अपेक्षा समलिंग मैथुन में इसका सबसे अधिक खतरा होता है क्योंकि शरीर रचना और क्रिया की दृष्टि से गुदा मैथुन के लिए नही बनी है इसलिए जोर पड़ने पर यह फट जाती है जिससे दरार पड़ जाती है और खून बह जाता है जो कि एड्स की वायरस के स्वागत के लिए लाल कालीन बिछा देने जैसा है। सक्रिय सहयोगी के स्थान पर पाने वाले सहयोगी को एड्स का खतरा सदा ही अधिक रहता है।

स्त्री पुरुष मैथुन से भी एड्स का खतरा बराबर रहता है परन्तु वेश्याओं से तो एड्स का खतरा बहुत अधिक होता है। यदि एड्स के इतिहास पर दृष्टि डालें तो विदित होगा कि वेश्याओं से एड्स की मात्रा भारवर्ष में बराबर बढ़ रही है। यह पाया गया है कि जब एक सामान्य और पूरी तरह स्वस्थ्य स्त्री किसी संक्रमित पुरुष के साथ संभोग करती है तो उसका संक्रमण का रास्ता खुल जाता है। अमेरिका

में एक युवती बहुत छोटी आयु में ही एक अंतर्राष्ट्रीय कम्पनी की उच्च अधिकारी बन गई और प्रेम का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था और कैरियर में वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। एक बार एक धनवान व्यापारी से आकर्षित होकर उसने उससे संभोग कर लिया तीन महिने के बाद किसी कारण उसका डॉक्टरी परीक्षण करने पर पाया गया कि उसे एड्स हो गया। इस प्रकार एक अकेले अनजाने एड्स के व्यक्ति से संभोग ने युवती के बहुमूल्य जीवन एवं शानदार भविष्य को नष्ट कर दिया।

वेश्यावृत्ति में एड्स को सबसे भयानक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्राहक की इच्छानुसार उसके साथ पारम्परिक मैथुन और गुदा मैथुन दोनों किए जाते हैं। वेश्याएं 94 प्रतिशत नशीले पदार्थ लेती हैं जिसकी आदत उनके दलाल इसलिए डालते हैं कि उनका नियंत्रण वेश्याओं पर बना रहे। यौन संबंधों से मिलने वाली आतशक और सुजाक जैसी बीमारियों का खतरा इस धंधे में सदा बना रहता है। इसके अतिरिक्त वेश्याओं के पास जाने वाले अधिकतर लोग शराबी होते हैं और उग्र क्रिया करते हुए जान-बूझकर चोट पहुंचाते हैं। इसलिए वेश्या यदि स्वयं एड्स से पीड़ित है तो स्वस्थ पुरुष को एड्स हो जाना स्वाभाविक है और यदि वेश्या स्वस्थ है तो एड्स से पीड़ित व्यक्ति से उसे एड्स होने की अधिक प्रबलता है। एड्स क्योंकि सेक्स क्रिया से फैंलने वाली बीमारी है इसलिए इसके बढ़ने पर आधारभूत कारण उच्छश्रंखल योनाचार हैं। मैथुन में सहयोगियों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही सम्भावना इस बात की होगी कि व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाय। संक्रमित करने वाले सहयोगी को भी शायद यह पता न हो कि वायरस उसमें मौजूद हैं जितने अधिक संक्रमित होंगे उतनी ही जल्दी व्यक्ति एड्स वाले सहयोगी के संपर्क में आ जाता है। यदि सभी लोग संक्रमित हों तो बीमारी पकड़ने के लिए एक बार मैथुन ही काफी होगा।

भारतवर्ष में एड्स की लिए सन् 1985 में जांच परीक्षण आरंभ किया गया था। अप्रैल 1986 में लगभग दस संभव केस एड्स वेश्याओं के पाए गए थे। सन् 1988 में वेश्याओं का परीक्षण किया गया जिसमें 95 वेश्याएं एच.आई.वी. संक्रमण से प्रभावित केस मिले जिनमें कुछ गर्भवती स्त्रियां भी थीं और 22 केसों में एड्स विकसित कर चुके थे। चूंकि एड्स का सबसे अधिक खतरा वेश्यावृत्ति से है इसलिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि इस वेश्यावृत्ति पर काबू पाया जाए। चूंकि वेश्याओं का डॉक्टरी परीक्षण नहीं होता इसलिए यह भी निश्चित नहीं कि वह वेश्या एड्स से पीड़ित है या नहीं। यह भी संभव है कि वेश्या जो स्वयं पीड़ित हो फिर भी अपनी मजबूरी के कारण वह इस रोग को न बताए। परन्तु जहां पुरुष एड्स से पीड़ित है, उसका यदि किसी महिला से मैथुन हो जाता है तो यह संभावना है कि वह स्वस्थ महिला भी एड्स की शिकार हो जाए। यदि एड्स जैसे भयानक रोग पर नियन्त्रण पाना है तो यह जरूरी है कि वेश्यावृत्ति को नियंत्रित किया जाए। हालांकि वेश्यावृत्ति की रोकथाम के लिए कानून है परन्तु उस कानून का वास्तविक प्रयोग अभी तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि महिलाओं को संरक्षण देने संबंधी जो इस अधिनियम का उपयोग हैं, उसका कड़ाई से पालन नहीं हो पाया। यदि इस अधिनियम की जानकारी सभी को हो तो निश्चय ही वेश्यावृत्ति की रोकथाम में यह अधिक सहयोगी होगा।

(ख) महिलाओं को वेश्यावृत्ति से कैसे बचाया जाए?

हर धर्म के मानने वाले पुरुषों ने महिलाओं का शोषण किया है जिसका इतिहास साक्षी है। एक तरफ महिला से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपने पति को परमेश्वर मानकर आदर्श पत्नी बने तो दूसरी तरफ चार-चार महिलाओं को एक ही पति की चार पत्नियों के रूप में वह उसकी सेवा करें। महिला को घर की चार दीवारी में बच्चा पैदा करने की मशीन और उन पैदा हुए बच्चों की देखभाल करने का यंत्र मानकर बंद करके पर्दे में रखा गया। नारी का पत्नी के रूप में शोषण करने से संतोष नहीं हुआ तो नारी का शारीरिक शोषण करके उससे व्यापार करने में भी कोई शर्म नहीं की गई। कोई भी युग हो ऐसा नहीं आया कि नारी के शारीरिक शोषण का निवारण करके उस पर कोई नियंत्रण किया गया हो और यहीं कारण है कि वेश्यावृत्ति को धर्म के रूप में अपनाने के लिए मजबूर किया गया। पुरुष समाज में यह धारणा जड़ पकड़ चुकी थी कि नारी तो मनोरंजन का साधन है और अबला होने के कारण जैसे मौका हो उसका प्रयोग यंत्र के रूप में किया जाए। नारी के उत्थान के लिए समय-समय पर समाज सुधारकों ने भी कई युगों में जन्म लिया और नारी के प्रति अत्याचार और अन्याय के विरूद्ध आवाज उठाई, परन्तु उनकी शक्ति इतनी प्रभावी नहीं हो सकती क्योंकि स्वयं महिला शक्ति सुशिक्षित और स्वतंत्र न होने के कारण पुरुषों से लोहा लेने में समर्थ नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप इन समाज सुधारकों की आवाज भी नगाड़े में तूती बनकर अधिक प्रभावी नहीं बन सकती। परन्तु जैसे-जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ता गया और दुनिया में ज्ञान की रोशनी का प्रसार हुए तो नारियों के प्रति आवाज उठनी शुरू हुई और महिलाओं ने भी संगठित होकर अपना योगदान देना प्रारंभ किया जिसके परिणास्वरूप कानून के माध्यम से नारी के प्रति जो भी अत्याचार और शोषण किया जा रहा था, उसको समाप्त करने के प्रयास किए गए। महिलाओं की वेश्यावृत्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम सन् 1956 में सृजित किया था जिसका पहले नाम स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम था, परन्तु वेश्यावृत्ति को समाप्त करना तो लगभग असंभव है परन्तु इसको नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। इस बात का भी अनुभव किया गया है कि कानून के माध्यम से वेश्यावृत्ति को दबाना अधिक उपयोगी नहीं है अपितु इस वेश्यावृत्ति की बीमारी का इलाज ढूंढना होगा और वह था। मजबूर गरीब महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना। यह पाया कि कोई भी महिला नहीं चाहेगी कि वह अपने शरीर का व्यापार करे और उसके साथ वेश्यावृत्ति हो और पुरुष उसके शरीर के साथ पैसे के बल पर खेले और उसका शोषण करे। परंतु सबसे बड़ी मजबूरी गरीबी है और इस गरीबी से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है महिलाओं को शिक्षा

देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का विश्वास पैदा करना। इसलिए जो भी महिलाओं को वेश्यावृत्ति का मजबूरी में शिकार होना मानते हुए उसके पुनर्वास एवं स्वावलम्बी बनाने के लिए सुधार संस्था में रखने की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है।

परन्तु दु:ख का विषय है कि इस अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 को जहां महिलाओं को संरक्षण देने के लिए सृजिन किया गया वहीं इसका प्रयोग प्राय: महिलाओं के विरूद्ध किया गया जबकि जो लोग इन महिलाओं से वेश्यावृत्ति करवाते हैं या वेश्यावृत्ति करते हैं, उनको पुलिस कम पकड़ती है। इसका कारण निश्चय ही महिलाओं के शोषण करने वाले इन लोगों के पीछे आर्थिक शक्ति है जिसके बल से गरीब, बेसहारा और शक्तिहीन महिलाएं ही शोषित होती हैं। यह भी सत्य है कि अधिकतर पुलिस अधिकारी जिनको वेश्यावृत्ति के निवारण के लिए इस अधिनियम में शक्तियां निहित की गई हैं, वह पुरुष है जो कि महिलाओं के दर्द को समझ नहीं पाते और वेश्यावृत्ति जैसे अपराध और अन्याय को सहना पड़ता है। यदि महिला पुलिस अधिकारियों को अधिक से अधिक कार्य में लगाया जाए तो वेश्यावृत्ति को निवारण के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। यही कारण है कि यदि कोई एक महिला परिस्थितियों के कारण स्वयं अपने शरीर को बेचती है अर्थात् वेश्यावृत्ति करती है ओर वेश्यावृत्ति का स्थान ऐसा नहीं जिसे सार्वजनिक स्थान कहा जाए तो ऐसे वेश्यावृत्ति को अधिनियम में अपराध माना गया। प्राय: महिला/लड़कियों को वेश्यावृत्ति में शोषण किया जाता है। वह उन लोगों के द्वारा होता है जो वेश्यावृत्ति का धंधा करवा कर अपना व्यापार करते हैं और वेश्यावृत्ति की आय से अपना जीवन-व्याप करते हैं। ऐसे लोगों पर नियंत्रण करने के लिए ही यह कानून बनाया गया है। चकला चलाने वाले, होटलों में लड़कियों को सप्लाई करने वाले और पैसों के बल से इन महिलाओं के साथ वेश्यावृत्ति करने वाले ही वास्तविक अपराधी हैं जिनके विरूद्ध कार्यवाही करना ही अधि ानियम का उद्देश्य है न कि इसकी शिकार मजबूर वेश्या। महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए यह जानकारी रखना जरूरी है कि यह अधिनियम किस प्रकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। अब जबकि वेश्यावृत्ति से एड्स जैसे गंभीर रोग हो जाते हैं तो वेश्यावृत्ति पर नियंत्रण सामाजिक दृष्टि से भी और जरूरी हो जाता है।

1. कानून में वेश्यागृह से क्या अभिप्राय है?

अधिनियम की धारा-2 के अन्तर्गत जहां पर वेश्यावृत्ति का कृत्य किया जाए, वह वेश्यागृह की परिभाषा में आएगा। वैसे तो वेश्यागृह के लिए जो जरूरी तत्व होने चाहिए वह यह हैं कि जहां पुरुष संभोग के लिए आते हों वेश्यागृह से या जरूरी नहीं कि वह स्थान घर की तरह हो अपितु किसी घर का एक कमरा, कोई अन्य स्थान, यहां तक कि वाहन भी वेश्यावृत्ति करने के लिए प्रयोग में आ सकता है और इस प्रकार घर, उसका कोई कमरा, अन्य स्थान या वाहन जब वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे वेश्यागृह कहा जा सकता है। लेकिन केवल वेश्यावृत्ति किसी स्थान, घर या वाहन में करना पर्याप्त नहीं है अपितु इसके साथ-साथ यह भी साबित होना जरूरी है कि उस स्थान पर वेश्यावृत्ति दो या उससे अधिक वेश्या धंधे के रूप में करती है। अर्थात् यदि कोई एक स्त्री अपने निजी लाभ के लिए किसी मकान या करमे में किसी पुरुष के साथ वेश्यावृत्ति करती है तो ऐसा वेश्यावृत्ति का स्थान वेश्यालय की परिभाषा में नहीं आएगा। लेकिन कोई आदमी अपने लाभ के लिए किसी एक स्त्री से वेश्यावृत्ति करवाता है तो ऐसी स्थिति में उस एक स्त्री को इस तरह संभोग का धंधा बेचकर किसी पुरुष की आय का साधन बनना उस स्थान का वेश्यागृह का रूप दे देगा। इस प्रकार किसी स्थल को वेश्यागृह की परिधि में लाने के लिए दो मुख्य बातों का साबित किया जाना आवश्यक है :-

1. वह कथित स्थान, घर, कमरा या वाहन वेश्यावृत्ति के धंधों के लिए प्रयोग किया जाता हो।
2. उस धंधे में लगी वेश्याएं एक से अधिक होना जरूरी है अर्थात् केवल एक वेश्या अपने निजी लाभ के लिए केवल प्रयोग करती है तो वह स्थान वेश्यागृह नहीं होगा। बशर्ते के उस वेश्या के साथ और आदमी उससे धंधा करवाता हो। यदि एक वेश्या उस स्थान का प्रयोग किसी व्यक्ति के माध्यम से उस व्यक्ति के लाभ के लिए करती है तो उस स्थिति में वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग किया गया स्थल वेश्यागृह की परिधि में आएगा।

उदाहरण रतनमाला बनाम सरकार, ए.आई.आर. 1962, मद्रास पृष्ट 31 वाले मामले में उच्च न्यायालय में मत व्यक्त किया कि यदि एक औरत अपनी जीविका के लिए एक मकान में वेश्यावृत्ति करती है और कोई अन्य व्यक्ति उसका इस काम में हाथ नहीं बंटाता या धंध ो में सहायता नहीं करता तो इस प्रकार एक औरत द्वारा अकेले रहकर बिना अन्य व्यक्ति की मदद से वेश्यावृत्ति का काम करना उस स्थल को वेश्यागृह का रूप नहीं देगा। इसको एक अन्य महत्वपूर्ण अदालती फैसले के माध्मय से और स्पष्ट किया जा सकता है। री.जान एवम् अन्य बनाम सरकार, ए.आई.आर. 1966, मद्रास पृष्ठ 167 के मामले में रईसा नामक स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। पति व्यापार के सिलसिले में प्राय: बाहर रहता था। साक्ष्य में यह भी आया कि रईसा का पति आयकर भी देता था। रईसा अपने नौकरी की मदद से ग्राहक ढुंढवाकर वेश्यावृत्ति करती थी। प्रश्न यह उठा कि क्या रईसा जिस मकान में अपने पति के साथ रहती थी, वह मकान उसके अकेले वेश्यावृत्ति करने के आधार पर वेश्यागृह की परिभाषा में आएगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि रईसा द्वारा वेश्यावृत्ति का अपने पति के निवास स्थान पर किया गया कृत्य चूंकि उसके निजी लाभ के लिए था। कोई अन्य स्त्री या पुरुष उसके साथ रहकर वेश्यावृत्ति से धन नहीं कमाता था इसलिए जिस स्थल पर रईस को वेश्यावृत्ति करते हुए पकड़ा गया, वह स्थल वेश्यागृह की परिभाषा में नहीं आता। यदि कोई स्त्री कई आदमी से एक स्थल पर संभोग करवाती है और निजी लाभ के लिए संभोग बेचती है, वह स्थल वेश्यागृही नहीं माना जाएगा। कृष्णपति बनाम पब्लिक प्रॉसीक्यूटर, ए.आई.आर. 196, सुप्रीम कोर्ट 567 के मामले में किसी

स्थत को वेश्यागृह के घेरे में नहीं लाएगा। लेकिन इस तथ्य को निर्धारण किया जाना कि क्या संबंधित स्थल प्राय: वेश्यावृत्ति के प्रयोग के लिए होता है, तथ्यों पर अधिक निर्भर करता है। यह जरूरी नहीं कि इस तथ्य को विशेष रूप से साबित किया जाए कि कई लोग जो मिलने आते हैं, वे वेश्यावृत्ति करने आते हैं बल्कि उस स्थल पर लोग बिना किसी झिझक के जाकर लड़की को पसंद करके वेश्यावृत्ति करते हैं तो ऐसा स्थल वेश्यागृह की परिभाषा में आएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई स्थल वेश्यावृत्ति के कृत के लिए प्रयोग में आ रहा है तथा केवल एक बार वेश्यावृत्ति का कृत उस स्थल पर किया गया है तो उसको वेश्यागृह नहीं किया जा सकता।

2. सुधार संस्थाएं वेश्याओं के लिए कैसे सहायक बन सकती हैं?

अधिनियम की धारा 2 (क) में सुधार संस्थाओं का उल्लेख है। नारी समाज की जन्मदाता है चूंकि औरत पत्नी, मां, बहन के विभिन्न रूपों में समाज को शक्ति देती है। यही कारण है कि पुरुष स्त्री को मां, बहन या पत्नी कहने में गौरव अनुभव करता है। जब नारी वेश्या बन जाती है तो कोई पुरुष मां, बहन या पत्नी स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। वेश्यावृत्ति अनैतिक अर्थात् संभोग को बेचना, नारी की गरिमा एवं सम्मान को धूमिल कर देता है इसलिए वेश्यावृत्ति अनैतिक कृत्य माना जाता है। समाज में फैली विषमताएं कभी-कभी नारी को कोठे पर लाने के लिए मजबूर कर देती है। वेश्यावृत्ति पर कुछ समय सुधारकों द्वारा किये गये शोध में यह पाया गया है कि कोई वेश्या वेश्यावृत्ति मन से नहीं चाहती बल्कि मजबूरी के कारण इस धंधे को करती है। वह भलीभांति यह अनुभव करती है कि समाज उन्हें घृणा की दृष्टि से देखता है लेकिन कोई और रास्ता नजर न आने पर मजबूर उन्हें इस चारदीवारी में घुटन का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। वेश्यावृत्ति में वेश्या जो मैथुन करती है, वह कोई सुख के लिए नहीं करती बल्कि केवल मात्र धन अर्जित करने के लिए निर्लज्ज होकर उकसे गैर व्यक्ति को कुछ क्षण के लिए शरीर बेचना पड़ता है। कुछ औरतों को धोखे से शादी करके, अपहरण करके या उनके माता-पिता द्वारा किसी के हाथ बेचकर बेघर कर दिया जाता है तो किसी प्रकार का कोई ठोर या ठिकाना न पाने पर मजबूरन वह इस अनैतिक धंधे में पड़ जाती है। ऐसी बेसहारा स्त्री को सहारा देने वास्ते सन् 1978 के एक्ट 46 द्वारा अधिनियम में संशोधन करके सुधार संस्था का प्रावधान किया गया है जिसमें ऐसी लड़की या स्त्रियां सुधार संस्था का प्रावधान किया गया है जिसमें ऐसी लड़की या स्त्रियां जो मजबूरी का शिकार होकर वेश्या बनी और उनको सुधार के लिए सहारे की आवश्यकता है, उनको संस्थाओं में रखा जा सके। इन संस्थाओं के निर्माण एवं संचालन की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति पर न छोड़कर सरकार पर छोड़ी गई है। इस प्रकार सुधार के महत्व पर ध्यान देते हुए इसको अधिनियम में सन् 1978 में संशोधन करके परिभाषा से जोड़ा गया है।

चूंकि कोई भी महिला पहले लड़की होती है और धंधा करने वाले लोग लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाते हैं। लड़की को धारा 2 (ब) में इस प्रकार परिभाषित किया गया। वेश्यावृत्ति स्त्री और पुरुष दोनों के संभोग से होती है अर्थात् जब स्त्री अपने संभोग को बेचती है और पुरुष उस संभोग को खरीदता है तभी वेश्यावृत्ति का कृत होता है। स्त्री को अधिनियम में दो भागों में बांटा गया है। एक भाग में लड़की दूसरे में स्त्री अर्थात् औरत। नारी अपने आयु 21 वर्ष पूरे करने के बाद वह लड़की न रहकर स्त्री बन जाती है। प्राय: लड़की अभिप्राय अविवाहित मानना अनुचित नहीं होगा क्योंकि विवाहित लड़की एक अविवाहित लड़की से अधिक समझदार और दुनियादारी को समझती है जबकि अविवाहित लड़की अभी अधपक्की होती है। वह अपना अच्छा, बुरा भली-भांति सोच समझ नहीं सकती है। इसलिए 21 वर्ष से कम आयु की नारी को अलग भाग में लड़की की परिभाषा दी गई है।

3. वेश्यावृत्ति का कानून में क्या अर्थ है?

अधिनियम की धारा 2 (ड़) में वेश्यावृत्ति से क्या अभिप्राय है, का उल्लेख है कि वेश्यावृत्ति क्या है? संशोधन अधिनियम 46 सन् 1978 द्वारा वेश्यावृत्ति की परिभाषा में इस प्रकार संशोधन कर दिया है कि जो वेश्या की परिभाषा (घ) में दी गई थी, उसका विमोचन करके इस वेश्या शब्द को वेश्यावृत्ति की परिभाषा में जोड़ दिया है। जिस प्रकार दुकानदार कोई सामान बेचते समय ग्राहकों में कोई चुनाव न करते हुए जो ग्राहक चीज की मांगे हुए दाम देने को तैयार हो जाता है, उसे दुकानदार सामान बेच देता है। उसी प्रकार वेश्या, अपने शरीर का सौदा अर्थात् संभोग हेतु उस व्यक्ति को बेचने को तैयार हो जाती है जो उसके मांगे हुए दाम नकद या वस्तुरूप में देने को तैयार हो जाता है, ऐसी स्त्री अपने संभोग को प्रत्येक व्यक्ति को न बेचकर किसी व्यक्ति विशेष से संभोग करती है जो व्यक्ति चाहे उसका पति भी नहीं तो भी उस स्त्री का वह कृत वेश्यावृत्ति की परिधि में नहीं आएगा। संभोग बेचने से यह जरूरी नहीं कि संभोग का कृत वास्तविक रूप से शरीर से होना चाहिए अपितु किसी स्त्री से लम्पअ या व्यभिचार कृत करना भी वेश्यावृत्ति में आएगा।

4. क्या कॉल गर्ल वेश्यावृत्ति की परिभाषा में आती है?

समाज में वेश्यावृत्ति इतनी पुरानी है जितनी कि मानव सभ्यता। एक वह भी समय था कि वेश्या अपनी दुकानें खोलकर ग्राहकों को बाहर बैठकर आकर्षित करती थी। कोठे से झांक कर ग्राहकों को बुलाती थी। स्त्रियों से वेश्यावृत्ति का धंधा जोर-जबर्दस्ती से चार दीवारी में बंद करके करवाया जाता था। जब वेश्यावृत्ति जोर-जबर्दस्ती से स्त्री की इच्छा के विरूद्ध करवाई जाए तो वह भी वेश्यावृत्ति की परिभाषा में आती है लेकिन यह वेश्यावृत्ति का अपरिष्कृत रूप है। जहां संभोग अपनी मर्जी से स्त्री बेचती हैं, वह भी वेश्यावृत्ति की परिधि में आता है। कॉल गर्ल, वेश्या का आधुनिक नाम है। इसमें केवल इतना अंतर है कि जो कॉल गर्ल वेश्या होती है स्वयं अपनी मर्जी से बिना किसी जोर-जबर्दस्ती से संभोग बेचती हैं। उसका अपना कोई कोठा नहीं होता है अपितु वह ग्राहक के बुलाने पर उसके द्वारा प्रबंध किए गए स्थान

पर जाकर संभोग को धन या वस्तु की कीमत पर बेचती है। इसके समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अदालती फैसलों की सहायता से इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है:-

पार्वती देवी बनाम ए.आई.आर. 1934 कलकत्ता, 198 वाले मामले में पार्वती, जो वेश्या थी। उसकी एक लड़की लक्ष्मी थी जो नाच-गाने में निपुण थी। प्राय: यह नाच-गाने से धन अर्जित करती थी। प्रश्न यह उठा कि क्या नाच-गाना धन कमाने के प्रयोजन से लड़की को अनैतिक बना सकता है। इस मुकदमे में विचारण मजिस्ट्रेट ने यह अभिनिर्धारित किया कि नाच-गाना वेश्यावृत्ति के धंधे की मशहूरी करने का एक पहले है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए अभिनिर्धारित किया कि लक्ष्मी अपनी मां पार्वती के पास रहकर नाच-गाने का काम कर रही थी और नाचने-गाने वाली लड़की वेश्यावृत्ति नहीं करती थी उसका नाचना-गाना वेश्यावृत्ति या कॉल गर्ल की संज्ञा नहीं दी जा सकती है।

बहिशांता बनाम गुजरात सरकार, ए.आई.आर. 1967, गुजरात 211 के इस मुकदमे में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया कि वेश्यावृत्ति से अभिप्राय एक से अधिक वेश्यावृत्ति की परिभाषा में नहीं आएगा अर्थात् अविवेक मैथुनता होना आवश्यक है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी नहीं कि ऐसे साक्ष्य को पेश किया जाए जो उन व्यक्तियों का हो जो उस स्त्री के यहां संभोग दाम देकर करने जाते हों, अपितु इस परिस्थिति के साक्ष्य पेश करना प्रर्याप्त होगा कि वह स्त्री पहले से ही संभोग बेचती चली आ रही है।

5. क्या रखैल वेश्या है?

चूंकि प्राय: रखैल पत्नी नहीं होती इसलिए यह जानना जरूरी है कि क्या रखैल को वेश्या की संज्ञा दी जा सकती है। इस बात कुद अदालती फैसले इस प्रकार हैं- एम्पर बनाम लालया बाप जादव, ए.आई.आर. 1929, बम्बई 226 के मामले में वेश्यावृत्ति एवं रखैल के अंतर को स्पष्ट करते हुए न्यायमूर्ति मिर्जा ने मत व्यक्त किया कि वेश्यावृत्ति में स्त्री अपने शरीर को संभोग के लिए किसी भी व्यक्ति को पैसे के दाम पर तैयार हो जाती है। जिस एक क्षण में वह एक व्यक्ति के लिए रहती है तो दूसरे क्षण में दूसरे व्यक्ति के पास। जबकि एक रखैल की स्थिति ऐसी नहीं होती। बल्कि उसका रिश्ता कोरे पैसों पर आधारित नहीं होता और न ही वेश्या की तरह क्षणिक होता है अपितु अधिक स्थाई प्रकृति का होता है। यह कि पार्वती चूंकि पिछले चार वर्ष से कुली का रखैल थी, उसको वेश्या कहा जाना अनुचित होता। बम्बई उच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि पार्वती का रखैल होना वेश्या की परिभाषा में नहीं आता।

6. संरक्षित गृह का क्या अर्थ है?

इसको अधिनियम की धारा 2 (छ) में परिभाषित किया गया है। अधिनियम में सुधार संस्था एवं संरक्षित गृह का प्रावधान किया गया है जो संबंधित राज्यों की सरकारें अधिनियम की धारा 21 में सृजन एवं संचालन करती हैं। कुछ ऐसी लड़कियां जिनको उनके अपने संबंधों सहारा देने के स्थान पर गुमराह कर देते हैं और रक्षक बनने के स्थान पर भक्षक बन जाते हैं और जब कोई सुरक्षा अपने सगे संबंधियों से नहीं मिलती तो इस बात का दायित्व सरकार का है कि उन स्त्रियों या लड़कियों का संरक्षण करें और उन बेसहारा लड़कियों या स्त्रियों को इस वेश्यावृत्ति की दलदल से निकाल कर उनको संरक्षण दें। इस प्रयोजन से जो संरक्षित गृह बनाए जाते हैं, उससे प्रयोजन इस संरक्षित गृह से हैं। इस सरंक्षण गृह में कवेल वहीं लड़कियां या स्त्रियां रखी जा सकेंगी जो किसी के चंगुल में फंस गई हैं और उनके जोर-जबर्दस्ती से उनकी इच्छा के विरूद्ध वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग कराया जाता है। जब ऐसी लड़कियां या स्त्रियों को हर ऐसे ग्राहक के चुंगल से छुड़ाया जाता है तो उनके सुरक्षा के लिए एक गृह की आवश्यकता होती है जो उनकी देखभाल करके उनमें अपने आत्म-विश्वास जागृत कर सके। इसी उद्देश्य से संरक्षण गृह का निर्माण किया जाता है। वह संरक्षण गृह को इसमें परिभाषित किया गया है। जो स्त्रियां या लड़कियां अपनी इच्छा से वेश्यावृत्ति करते अधिनियम के अंतर्गत अपराध करती पकड़ी जाती हैं और उनको यदि निरूद्ध करने की आवश्यकता पड़ जाए तो वह संरक्षित गृह में नहीं रखी जाएगी अपितु उनको सुधार संस्था में रखा जा सकता है। इसलिए सुधार और संरक्षित गृह दोनों अलग-अलग संस्थान हैं इसलिए इनकी अलग-अलग परिभाषा की गई है।

7. विशेष पुलिस ऑफीसर को ही महिलाओं के वेश्यावृत्ति अपराधों में अंवेषण करने एवं उसके निवारण करने के अधिकार निहित हैं।

चूंकि अधिनियम मात्र अपराधों को रोकने के लिए ही नहीं हैं, अपितु इसमें वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए प्रशासनिक कदम उठाने एवं सुधार के लिए उचित कार्यवाही करने का भी प्रावधान है। वेश्यावृत्ति जहां अपने आप में अपराध नहीं माना गया, वहां इसके पोषण को रोकने के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यता पड़ जाती है इसलिए कुछ विशेष अधिकार भी अधिनियम में दिए गए हैं ताकि पुलिस को दिए गए विशेष अधिकारों के दुरूपयोग को रोका जाए। इसमें राज्य सरकार किसी विशेष पुलिस ऑफीसर को ही सीमित क्षेत्र में वेश्यावृत्ति संबंधित घटित अपराध एवं उसकी रोकथाम एवं देखभाल के लिए नियुक्त करती है।

8. वेश्यावृत्ति चलाने या परिसरों को वेश्यागृहों के रूप में प्रयुक्त करने के लिए दण्ड की व्यवस्था अधिनियम की धारा 3 में की गई है।

जैसे अधिनियम में लड़की की परिभाषा का क्या अर्थ है, को परिभाषित किया गया है, वैसे ही स्त्री की परिभाषा की गई है। लड़की से अभिप्राय अभी वह कम उम्र की कच्ची कली की तरह है जो अभी फूल नहीं बनी। प्रत्येक वह नारी जो 21 वर्ष पूर्ण कर लेती है, कली नहीं रहती अतिपु फूल बन जाती है। एक स्त्री एवं लड़की का अधिनियम में जो फर्क किया गया और 21 वर्ष की आयु

की महिला को स्त्री की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। लड़कियां एवं स्त्रियां दोनों वेश्यावृत्ति के जाल में फंस जाती हैं जिनको बचाने के लिए पर्याप्त कानूनी व्यवस्था की गई है जो इस धारा 3 में प्रकार हैं-

1. कोई व्यक्ति जो कोई वेश्यागृह चलाता है या उसका प्रबंध करता है अथवा उसको चलाने या उसके प्रबंध में काम करता है या यहायता करता है, वह प्रथम दोष सिद्धि पर एक वर्ष से अन्यून और तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से तथा जुर्माने से भी जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में दो वर्ष से अन्यून और पांच वर्ष से अधिक की अविध के लिए कठोर कारावास से तथा जुर्माने से भी जो दो हजार रुपए तक को हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

2. कोई व्यक्ति जो-

(क) किसी व्यक्ति का किराएदार, पट्टेदार, अभियोगी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए ऐसे परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करेगा या जान बूझकर किसी अन्य व्यक्ति को प्रयुक्त करने देगा। अथवा

(ख) किसी परिसर का स्वामी, पट्टाकर्ता या भू-स्वामी अथवा ऐसे स्वामी, पट्टाकती या भू-स्वामी का अभिकर्ता होते हुए उसे या उसके किसी भाग को यह जानते हुए पट्टे पर देता है कि उसका या उसके किसी भाग का वेश्यागृी के रूप में प्रयोग किया जाना आशयित है अथवा ऐसे परिसर या उसके किसी भाग के वेश्यागी के रूप में प्रयोग का जान-बूझकर पक्षकार होगा।

प्रथम दोष सिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा द्वितीया या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

3. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के किसी परिसर या उसके किसी भाग के संबंध में उस उपधारा के अधीन किसी अपराध में लिए सिद्ध दोष होने पर, कोई ऐसा पट्टा या करार जिसके अधीन ऐसा परिसर पट्टे पर दिया गया है या उस अपराध के लिए जाने के समय धारित है या अभिभोगाधीन है, उक्त दोष सिद्धि की तारीख से शून्य और अप्रवर्तनशील हो जाएगा।

जहां वेश्या से वेश्यावृत्ति करवायी जाती है, उसे वेश्यालय बोलते हैं। जो व्यक्ति ऐसे वेश्यालय को चलाता है या प्रबंध करता है, वह इस धारा में दोषी है। वेश्यालय चलाने वाले व्यक्ति की स्थिति उस दुकानदार की तरह है जो दुकान में चीजें बेंचकर धन कमाता हैं। फर्क केवल इतना है कि वेश्यालय को चलाने वाला व्यक्ति वेश्याओं से वेश्यावृत्ति करवा कर धन अर्जित करता है। अत: इस धारा में वेश्या द्वारा वेश्यावृत्ति करना अपराध न मानकर वेश्यावृत्ति करवाने वाले व्यक्ति को अपराधी माना गया है।

इस धारा में निम्नलिखित कार्य वेश्यालय चलाने के घेरे में आते हैं :-

1. जो व्यक्ति वेश्यालय चलाने का प्रबंध करता है या उसकी देखभाल करता है।
2. जो व्यक्ति किसी स्थान के कब्जे में चाहे किराएदारी के रूप में या स्वामित्व के रूप में या अन्य वैध तरीके से ही उस स्थान को अपनी मरजी से वेश्यागृी के रूप में प्रयोग करवाता है।
3. जो व्यक्ति वेश्यागृह चलाने में किसी अन्य तरीके से सहयोग देता है, यह सभी कार्य इस धारा में अपराध हैं।

इस धारा में अपराध साबित होने पर जहां दण्डित किया जाएगा, वहां यदि जिस व्यक्ति ने अपने परिसर को वेश्यालय के लिए प्रयोग करने दिया, यदि परिसर उसने किराएदारी पर ली या पट्टे पर ली तो किराएनामा या पट्टेनामा शून्य माना जाएगा। अर्थात् ऐसी संपत्ति पर वह किराएनामा या पट्टेनामा द्वारा किसी अधिकार के प्रयोग से वंचित समझा जाएगा। इस धारा में अपराध को गंभीर मानते हुए न्यूनतम दण्ड निर्धारित किया गया है जो न्यायालय अपराध साबित होने पर कम से कम देने में बाध्य है लेकिन यदि न्यायाल चाहे तो न्यूनतम दण्ड से अधिक समय का दण्ड दे सकते हैं। सजा देने का प्राविधान का उद्देश्य यही है कि कुछ अवांछनीय तत्व जो भोली-भाली लड़की का शिकार करके उनके शरीर का व्यापार करते हैं, उनसे सख्ती से निपटा जा सके जिससे ऐसे अपराधों को बढ़ावा न मिले। यदि कोई व्यक्ति इस धारा में दोषी पाया जाता है और उसका यह पहला अपराध है तो ऐसी स्थिति में उसको कम के कम एव वर्ष का कठोर कारावास जो तीन वर्ष तक दिया जा सकता है और 2000/- रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। जब किसी व्यक्ति द्वारा इस अपराध में पहले एक बार सजा दी जा चुकी हो और दुबारा अपराध साबित पाया जाए तो उस स्थिति में न्यूनतम सजा एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की होगी तो बढ़ाकर पांच वर्ष तक की जा सकती है एवं 200/- रुपए तक जुर्माना किया जाएगा।

यह निश्चित करने के लिए क्या परिसर का प्रयोग वेश्यालय के लिए किया जाता है। यह देखना होता है कि क्या वहां पुरुष संभोग करने के लिए आते हैं। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अदालती फैसले इस प्रकार हैं- एम्पर बनाम विधाबाई सखा, ए.आई.आर. 1928, बम्बई 336 में यह साक्ष्य आया कि अभियुक्त एक औरत हंसाबाई जो एक व्यक्ति लक्ष्मण की पत्नी थी, का रोज अपने कोठे पर वेश्यावृत्ति कराता थां यह कि इस वेश्यावृत्ति से अर्जित धन को अभियुक्त ने कभी इस हंसाबाई को नहीं दिया जिससे वेश्यावृत्ति कराई गई। यह कहीं साक्ष्य में नहीं आया कि अभियुक्त ने हंसाबाई पर दया करके बिना किसी लालच के स्वयं धन अर्जित करने हेतु अपने कोठे को वेश्यावृत्ति करने के खिलाफ अपराध दिया। बम्बई उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया गया कि जिस स्त्री से वेश्यावृत्ति करवाई जाए अर्थात् जो केवल वेश्यावृत्ति का शिकार हो, वह अपराधी नहीं बल्कि जो व्यक्ति उस स्त्री से वेश्यावृत्ति करवाता है, वह अपराधी है। गुप्त सूत्रों द्वारा पुलिस को यह जानकारी होने पर कि एक औरत जानबाई एक मकान में वेश्यागृह चला रही थी जिसमें चारों लड़कियों

से जिनका नाम गया, सारू, सुभ्रदा एवं बानों से वेश्यावृत्ति का काम करवाती थी। इस सूचना पर एक ग्राहक शेख कासम को एक रुपए के पांच नोट देकर भेजा। इस पांच रुपये के रोटों का भुगतान पंचों के सामने इस व्यक्ति को करके इस शेख कासम से कहा गया कि वह जानबाई के यहां जाकर 5/- के पांच नोट देकर किसी एक वेश्या से वेश्यावृत्ति करे। इसके अनुपालन में शेख कासम, जानबाई के कोठे पर गया जहां उसे जानबाई ने कासम शेख को चार लड़कियां दिखाई। उनमें से कासम शेख ने सारू नाम की लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए चुन लिया। सारू ने वेश्यावृत्ति करने का 5/-रु. दाम जानबाई ने ही तय किया। कासम शेख द्वारा 5/- दाम देने पर राजी होने पर जानबाई ने कासम शेख को सारू को एक कमरे में ले जाने की अनुमति दी। पूर्व योजना के अनुसार पुलिस ऑफीसर एवं पंच वहीं कोठे से बाहर छिपे हुए शेख कासिम के इशारे का इंतजार करने लगे। कासम शेख ने सारू से वेश्यावृत्ति करने के बाद करमे में आकर सिगरेट जलाई जो इस बात का इशारा था कि उसने वेश्यावृत्ति का काम कर लिया है। इस संकेत को पाते ही पुलिस और पंचों ने कोठे पर धावा बोल दिया और जानबाई के कब्जे से 5/- रुपये बरामद किए जिसकी फर्द मौके पर पंचों के सम्मुख विधिवत् तैयार की गई। पुलिस द्वारा जानाबाई के साथ उच्च चार लड़कियों को, जो बरामद की गई थी, धारा 3 में चालान किया। साक्ष्य में यह आया कि इन चारों लड़कियों का कोई किसी प्रकार का सक्रिय हाथ वेश्यागृह चलाने में नहीं था बल्कि जो लोग वेश्यावृत्ति को चला रहे थे, उनके चंगुल में फंस कर उनकी शिकार थी और इस जानबाई ने इस चार लड़कियों को पकड़ रखा था और उनसे धंधा करवाती थी।

जहां उच्च न्यायालय बम्बई ने यह अभिनिर्धारित किया कि इन चारों लड़कियों ने धारा 3 में कोई अपराध नहीं किया, वहां यह भी विचार व्यक्त किया कि पुलिस द्वारा कासम शेख को वेश्यावृत्ति के अपराध को पकड़ने के लिए संभोग की अनुमति देकर साक्ष्य इकट्ठा करना अनुचित था बल्कि पुलिस को यह चाहिए था कि ऐसी वेश्यावृत्ति होने से पहले पकड़वाना वांछनीय था। सानी बच्चन लक्ष्मण बनाम सरकार ए.आई.आर. 1960, गुजरात 37 वाले मामले में लक्ष्मण नामक व्यक्ति ने अपने यहां दो लड़कियां रखी थी जिसमें एक स्वयं उसकी पत्नी थी तथा इसका नाम इन्दुमति था। एक लाल जी नामक व्यक्ति ने लक्ष्मण को घर जारक 5 रुपये का नोट दिया और इस पर लक्ष्मण ने दो लड़कियां, जिनमें एक उसकी पत्नी थी, वेश्यावृत्ति के लिए दिखाई। जिस पर लाल जी नामक व्यक्ति ने लक्ष्मण की पत्नी इन्दुमती को वेश्यावृत्ति के लिए पंसद किया। गुजरात उच्च-न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया कि लक्ष्मण ने धारा 3 के अन्तर्गत अपराध किया है। क्योंकि वह अपने मकान को वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग कर रहा था। रतनमाला बनाम सरकार ए.आई.आर. 1962, मद्रास 31 वाले मामले में तथ्य इस प्रकार है कि रतनमाला नामक स्त्री अपने भाई एवं भाभी के साथ वेश्यागृह चला रही थी। पुलिस ने इसकी विश्वस्त सूत्रों से जानकारी करने के बाद एक व्यक्ति को वहां भेजा। पूर्व योजना के अनुसार राधाकृष्ण नामक व्यक्ति उसके मकान में गया जहां इस रतनमाला का भाई और भाभी मिले। दोनों लोगों से बातचीत करने के बाद यह तय हुआ कि राधाकृष्ण 40/-रु. देकर रतनमाला से वेश्यावृत्ति कर सकता है। राधाकृष्ण ने 40/- रुपए रतनमाला की भाभी को दिए जिसने इनको रतनमाला के भाई बाबू को दिए। बाबू ने इस 40 रु. को लेकर अपने ट्रंक में रख दिए। इसके बाद राधाकृष्ण को उसी मकान के पीछे एक छोटे कमरे में ले जाया गया जहां इंतजार कर रही थी। उच्च न्यायालय मद्रास ने रतनमाला को धारा 3 में दोषी न पाते हुए यह अभिनिर्धारिता किया कि रतनमाला का भाई अपराध धारा 3 (2) में केवल दोषी है। मुन्नूमियां के यहां छापा मारने पर उसके कब्जे से तीन लड़कियों को, जिनका नाम राधिका, सकीना एवं मीरा को पकड़ा। आरोप यह था कि अभियुक्त मुन्नूमियां इस लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराकर वेश्यागृह का संचालन करता था। साक्ष्य में यह आया कि जो मकान वेश्यागृह के लिए प्रयोग किया जाता था, वह मकान किसी अन्य का था और मुन्नू इस मकान में रहने वालों से केवल किराया वसूल किया करता था। साक्ष्य में ऐसा कुछ नहीं आया कि जब लोग वेश्यावृत्ति चलाने में अपनी सहायता देता था इसका किसी रूप में इंचार्ज रहा हो बल्कि वह केवल इस मकान का किराया वसूल करता था। उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने अभिनिर्धारित किया कि मुन्नू द्वारा केवल ऐसे मकान से किराया वसूल करता था परन्तु उसकी जानकारी में नहीं था कि यह वेश्यागृह के प्रयोग में आ रहा हो या वह स्वयं उसको वेश्यागृह के चलाने में किसी तरह की सहायता या सक्रिय भाग लेता हो इसलिए उसको अपराध धारा 3 (1) का दोषी नहीं कहा जा सकता।

9. वेश्यावृत्ति से अर्जित किए गए धन पर निर्वाह करना अपराध है :-

वेश्यावृत्ति चूंकि अपने आप में अनैतिक है। प्राय: जितनी वेश्याओं से साक्षात्कार समाज सुधारकों द्वारा वेश्यावृत्ति की समस्या के समाधान के संदर्भ में लिया गया तो प्राय: सभी वेश्यावृत्ति से धन अर्जित करने वाले स्त्री अपने सच्चे मन से इसको नहीं करना चाहती। अपनी मजबूरी के कारण वह यह धंधा अपनाती है। कोई अपने पति द्वारा ठुकरा दी जाती है लेकिन समाज उसे सहायता नहीं देता या कोई आर्थिक विषमता से इस प्रकार घिरी होती है कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए या कोई किसी धोखे का शिकार होकर कुछ स्वार्थी लोगों में चुंगल में फंस जाती है, की मजबूरी से उसकी धंधा अपनाना पड़ता है। हर क्षण अपने शरीर को सौदा गैर व्यक्ति से करना होता है जिसके लिए अपनी आत्मा को मारकर अपने शरीर को कुछ क्षणों के लिए ग्राहक को प्रयोग करने के लिए देना कितना अप्राकृतिक कर्म है। इस पर कितना क्लेश होता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

यह तो समझ आता है कि जा स्त्री वेश्यावृत्ति करके धन अर्जित करती है, उस धन से अपनी जरूरतों पूरा करे लेकिन यदि उसके धन से अन्य कोई व्यक्ति जो अपनी जीविका भलीभांति कमा सकता है, यदि वह धन अर्जित करता है जो वह तिरस्कार करने योग्य है। जहां

तक उस वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री या लड़की के साथ उसके छोटे-छोटे बच्चे या भाई-बहन जिनकी आयु 12 वर्ष से कम है जीविका अर्जित करते हैं, और उसे वेश्या से धन अर्जित कर अपना जीवन निर्वाह करते है जो वह इसलिए माफ किए जा सकते हैं कि वह अभी इस लायक नहीं कि पैरों पर खड़े होकर स्वयं अपनी देखभाल कर लें। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए इस अधिनिमय की धारा 4 में यह उपबंधित किया है कि जिस व्यक्ति की आयु 32 वर्ष ये अधिक है और जो स्त्री हो या युवक हो, वेश्यावृत्ति द्वारा अर्जित किए गए धन पर अपना निर्वाह करता है तो वह इस धारा में अपराध होने पर दण्डित किया जाएगा।

चूंकि वेश्यावृत्ति से अर्जित धन पर निर्वाह का अर्थ बड़ा विस्तृत है इसको अधिक स्पष्ट करने के लिए इस धारा में एक्ट 46 सन् 1978 में संशोधन द्वारा उपधारा 2 को जोड़ा गया है जिसमें यह प्रकल्पित किया जा सकेगा कि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति से अर्जित धन पर आश्रित है। यदि यह पाया जाता है कि वह व्यक्ति जिसकी 18 वर्ष से अधिक आयु है, वेश्या के पास रह रहा है या वेश्या की सहमति से रहता है या वेश्या पर उसका नियंत्रण इस प्रकार है कि वेश्या को उसके इशारे पर नाचना पड़े। इन सभी परिस्थितियों से यह प्रमाण लिया जाएगा कि वह व्यक्ति उस वेश्या की आय से अपना जीवन यापन का रहा है। इसी प्रकार यह देखने के लिए क्या कोई वेश्या की आय पर रह रहा है, तो यह माना जाएगा कि वह वेश्या की आय पर निर्भर है। ऐसे तथ्यों के साबित होने के बाद इस बात पर की परिकल्पना की जाएगी कि वह व्यक्ति वेश्या की आय पर जीवन यापन कर रहा है और इसको झूठ सिद्ध करने का भार स्वयं उस व्यक्ति को होगा, अभियोजन का नहीं होगा।

चूंकि वेश्यावृत्ति को बढ़ाने में कुछ और लोग भी होते हैं जो अपने निहित लाभ के लिए उसको बढ़ावा देते हैं जिससे प्रत्येक सामाजिक सुधार कार्य बेकार हो जाएगा इसलिए ऐसे अपराधों को दण्डनीय बनाया गया है जहां पर कुछ लोग इनको बढ़ावा देते हैं, इसकी आय पर निर्भर करते हैं। अत: वेश्या के लिए इस कृत्य को अपराध न मानकर उन लोगों के लिए अपराध माना गया हो जोकि वेश्यावृत्ति की आय पर रहते हैं इस आय को वढ़ाने के लिए वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देते हैं। अनैतिकता एवं वेश्यावृत्ति दोनों पर अंकुश लगाना इस धारा का उद्देश्य है। इसको अधिनिमय में गंभीर दण्डनीय अपराध बनाया गया है जो कि इस प्रकार है-

1. अट्ठारह वर्ष की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी स्त्री या लड़की की वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर पूर्णत: या भागत: जीवन निर्वाह करेगा, वह कारावास से जिसी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

2. जहां किसी व्यक्ति की बावत् साबित हो जाता है कि वह-

(क) किसी वेश्या के साथ निवास करता है या अभ्यासत: उसके संग रहता है या

(ख) किसी वेश्या की गतिविधियों पर इस प्रकार का नियंत्रण निर्देश या असर प्रयुक्त करता है जिससे यह दर्शिता होता है कि ऐसा व्यक्ति उसे वेश्यावृत्ति करके के लिए सहायता देता है, दुष्प्रेरित या विवश करता है। या

(ग) किसी वेश्या के निमित्त दलाल या कुटना के रूप में कार्य करता है, तो जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह उपधारित किया जाएगा कि ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) के अर्थ में अन्य व्यक्ति से वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जानबूझ कर जीवन-निर्वाह कर रहा है।

परन्तु किसी वेश्या के पुत्र या पुत्री की बावत् ऐसी कोई उपधारण उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें वह पुत्र या पुत्री अट्ठारह वर्ष की आयु से कम हो।

10 स्त्री या लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए उपाप्त करना, उत्प्रेरित करना या ले जाना उपराध है :-

अधिनियम की धारा 5 में उपबंधित है कि-

1. कोई व्यक्ति जो-

(क) किसी स्त्री या लड़की को चाहे उसकी संपत्ति से या उसके बिना वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपाप्त करेगा या उपाप्त करने का प्रयत्न करेगा।

(ख) किसी स्त्री या लड़की को किसी स्थान से जाने के लिए इस आशय से उत्प्रेरित करेगा कि वह वेश्यावृत्ति की अंत:वासी हो जाए या उसमें प्राय: जाती रहे या

(ग) किसी स्त्री या लड़की को इस दृष्टि से कि वह वेश्यावृत्ति करे या वेश्यावृत्ति करने के लिए उसका पालन-पोषण किया जाए। एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाएगा या ले जाने का प्रयत्न करेगा या लिवाइगा या

(घ) किसी स्त्री या लड़की से वेशावृत्ति करेगा या कराने के लिए उत्प्रेरित करेगा

प्रथम दोष सिद्धि पर एक वर्ष से अन्यून और दो वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से तथा जुर्माना से भी दो हजाए रूपए का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में कोई व्यक्ति दो वर्ष से अन्यून और पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से और जुर्माने से भी, जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन अपराध।

(क) उस स्थान पर विचाराणीय होगा जहां से स्त्री या लड़की उपाप्त की जाती है जाने के लिए उत्प्रेरित की जाती है, ले जाई जाती है या लिपायी जाती है अथवा जहां से ऐसे स्त्री या लड़की को उपाप्त करने या ले जाने का प्रयत्न किया जाता है या

(ख) उस स्थान पर विचारणीय होगा जहां वह उस उत्प्रेरण के फलसवरूप लाई गई हो या जहां वह ले जाई गई हो या लिवाई गई हो या उसे ले जाने का प्रयत्न किया गया है।

कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी औरत या लड़की को गुमराह करता है जिससे कि उसके साथ वेश्यावृत्ति की जाए ऐसे व्यक्ति को धारा 15 में दोषी ठहराया जा सकता है। इस प्रकार वेश्या जिससे वेश्यावृत्ति कराई जाती है। उसको इस धारा में अपराधी नहीं माना गया अपितु वेश्यावृत्ति कराने वाले व्यक्ति को अपराधी माना गया है।

11. किसी स्त्री या लड़की को ऐसे परिसर में निरूद्ध करना जहां वेश्यावृत्ति की जाती है, गंभीर अपराध है-

अधिनियम की धारा 6 में प्राविधानित है कि-

(1) कोई व्यक्ति जो किसी स्त्री या लड़की को चाहे उसकी सम्मति से या उसके बिना-

(क) किसी वेश्यावृह में निरूद्ध करेगा या

(ख) किसी परिसर में या पर इस आशय से निरूद्ध करेगा कि वह अपने विधि सम्मत पति से भिन्न किसी आदमी के साथ मैथुरा करे। प्रथम दोष सिद्धि पर एक वर्ष से अन्यून और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से तथा जुर्माने से भी, दो हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन अपराध के लिए द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्ध पर कोई व्यक्ति दो वर्ष से अन्यून और पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कठोर कारवास से तथा जुर्माने से भी जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारण की जाएगी कि वह किसी स्त्री या लड़की को किसी वेश्यागृह में या अपने विधि सम्मत पति से भिन्न किसी आदमी के साथ मैथुन के प्रयोजनों के लिए किसी परिसर में या उस पर निरूद्ध करता है, यदि ऐसा व्यक्ति, उसे वहां रखने के लिए विवश या उत्प्रेरित करने के आशय से-

(क) उसके किसी आभूषण, पहनने के कपड़े, धन या अन्य सम्पत्ति का उससे विधारित करता है, या

(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्देश से उसे उधार दिए गए प्रदान किए गए किसी आभूषण, पहनने के कपड़े, धन या अन्य सम्पत्ति को उसके द्वारा ले जाए जाने की दशा में उससे विधिक कार्यवाहियों की धमकी देता है।

(4) ऐसे स्त्री या लड़की के खिलाफ उस व्यक्ति के कहने पर जिस के द्वारा यह निरूद्ध की गई है, किसी ऐसे आभूषण, पहनने के कपड़े या अन्य सम्पत्ति की वसूली के लिए जो ऐसी स्त्री या लड़की की या के लिए उधार दी गई है या पदाय की गई अथवा ऐसी या लड़की द्वारा गिरबी रखी गयी अभिकथित है अथवा किसी धन की वसूली के लिए, जिसका ऐसी स्त्री या लड़की द्वारा सदेय होना अभिकथित है, कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी प्रतिकूल विधि के होते हुए भी, नहीं होगी।

इस प्रकार यदि वेश्यालय में कोई व्यक्ति किसी स्त्री या लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए निरूद्ध करेगा, वह इस धारा में अपराधी होगा। निरूद्ध शब्द का अर्थ समझते हुए यह साबित करना जरूरी है कि वेश्यावृत्ति के लिए उसकी इच्छा के विरूद्ध बंद किया गया है चूंकि यदि उसकी इच्छा से वह रह रही है तो निरूद्ध नहीं कहा जा सकता।

12. सार्वजनिक स्थानों में या उनके समीप वेश्यावृत्ति दण्डनीय अपराध है-

अधिनियम की धारा 7 में उल्लेख है कि-

(1) किन्हीं परिसरों में जो किसी सार्वजनिक धार्मिक पूजास्थल, शैक्षणिक संस्था, छात्रावास, अस्पताल, परिचार्यागृह या किसी ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थान से जो पुलिस आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विहित रीति से इस निमित अधिसूचित किया जाए, दो सौ गज की दूरी के अंदर हो, वेश्यावृत्ति करने वाले कोई स्त्री या लड़की अथवा वह व्यक्ति जिसके साथ वेश्यावृत्ति की जाएगी, कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की जा सकेगी, दण्डनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति-

(क) किसी सार्वजनिक स्थान को पालन होते हुए वेश्याओं को अपने व्यापार के प्रयोजनों के लिए जानबूझकर ऐसे स्थान का आश्रम लेने या वहां रहने देगा या

(ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किन्ही परिसरों का अभिधारी, पट्टेदार, अभियोगी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए जानबूझकर उनका या उनके किसी भाग का वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने देगा या

(ग) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किन्ही परिसरों का स्वामी पट्टाकर्ता या भूस्वामी अथवा ऐसे स्वामी, पट्टाकर्ता या भूस्वामी का अभिकर्ता होते हुए उनको या उनके किसी भाग को यह जानते हुए पट्टे पर देगा कि उनका या उनके किसी भाग का वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग किया जाए अथवा जानबूझकर ऐसे प्रयोग का पक्षकार होगा।

प्रथम दोषसिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक हो सकेगा अथवा दोनों से और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से भी, जो

दो रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय है।

धारा 7 में स्वयं वेश्यावृत्ति करने वाली लड़की या स्त्री को अपराधी बताया गया है। चूंकि इस अनैतिक कार्य पर अंकुश लगाना इस ध ाारा का उद्देश्य है जो व्यक्ति वेश्यावृत्ति करता है और जिसके साथ वेश्यावृत्ति की जाती है, दोनों को अपराधी माना गया है। चूंकि जिस स्थान पर वेश्यावृत्ति की जाए, वह ऐसा होना जरूरी है जो कि सार्वजनिक स्थान में आता है और दूसरा यह साबित करना है कि वहां पर वेश्यावृत्ति की जा रही थी। वेश्यावृत्ति की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। वेश्यावृत्ति करने वाला और वेश्या दोनों को दण्ड देने का उपाय है।

13. वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए विलुब्ध करना या याचना करना, कानूनी जुर्म है।

अधिनियम की धारा 8 में जो कोई सार्वजनिक स्थान पर या किसी सार्वजनिक स्थान से दिखाई देते हुए और ऐसी रीति में जिससे दिखाई दे या सुनाई दे चाहे किसी भवन या घर के अंदर से या अन्यथा–

(क) शब्दों अंग–विक्षेप, अपने शरीर के जानबूझकर अभिदर्शन या (चाहे किसी भवन या घर की खिड़की पर या बालकनी पर बैकर या किसी अन्य रीति से) या अन्यथा किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रलोभित करेगी या प्रलोभित करने का प्रयास करेगी अथवा उसका ध्यान आकर्षित करेगी या आकर्षित करने का प्रयास करेगी। या

(ख) वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति से याचना करेगी या छेड़छाड़ करेगी अथवा धूमती फिरती रहेगी या ऐसी रीति में कार्य करेगी जिससे आसपास रहने वाले या ऐसे सार्वजनिक स्थान से होकर जाने वाले व्यक्तियों को बांधा या क्षोभ हो, अथवा सार्वजनिक शिष्टता का अतिवर्तन करेगी।

वह प्रथम दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि छ: मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौर रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगी और द्वितीय या पश्चातृवर्ती दोषसिद्धि की दशा में कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से भी ज्यादा पांच सौ रुपए तक का हो सकेगी, दण्डनीय होगी।

यदि कोई स्त्री किसी सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति मात्र के उद्देश्य से किसी को इशारा इत्यादि से बुलाती है, तभी दण्डनीय है। परन्तु यदि किसी को वेश्यावृत्ति के लिए नहीं बुलाती है तो अपराध नहीं होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति से किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी ऐसे अभद्र इशारे से ऐसी हरकत करता है। चूंकि इस अधिनियम में वेश्यावृत्ति को अनैतिक कृत मानते हुए इसके विवादास्पद है। सड़क पर सार्वजिनक स्थान पर कोई हरकत अशोभनीय एवं वेश्यावृत्ति के लिए गुमराह करता है तो वह भी इस धारा के अंतर्गत अपराध ा माना जाएगा। इसको एक महत्वपूर्ण अदालती फैसले से इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम पमचंद ए. आई.आर. 1964 पेज 155 के मामले में किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी स्त्री पुरुष को वेश्यावृत्ति करते या करने के इरादे से कोई कृत करते पाया जाए तो उस व्यक्ति के विरूद्ध इस धारा में कार्यवाही की जा सकती है। वैसे तो वेश्यावृत्ति करने वाले वेश्या के विरूद्ध कोई अपराध इस अधिनियम में नहीं माना गया चूंकि इस वास्तविकता पर विश्वास किया गया कि स्त्री प्राय: किसी मजबूरी के कारण वेश्यावृत्ति का कृत करती है।

इसलिए देश को वेश्यावृत्ति करने के लिए दण्डित नहीं किया जाए। लेकिन इस अधिनिमय की इस धारा में एक अपवाद है कि कोई वेश्या स्त्री यदि वेश्यावृत्ति करती है तो इसका मतलब यह नहीं कि इस अनैतिक कार्य की नुमाइश करें। चूंकि इसका प्रभाव साधारण लोगों पर बुरा पड़ता है। स्वच्छ सामाजिक वातावरण दूषित हो जाता है। इसलिए सार्वजनिक स्थलों पर स्वयं वेश्या एवं ऐसे अन्य लोगों को जो वेश्यावृत्ति के कृत करने के उद्देश्य से अशोभनीय कार्य करते हैं तो उनको इस धारा में दण्डित करने का उपाय है।

कभी–कभी सार्वजनिक स्थलों पर देखा गया है कि कुछ अवांछनीय स्त्री या पुरुष गुमराह करने हेतु वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से कुछ कृत करते हैं जिसका साधारण जन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि ऐसे कोई कृत पाया जाए तो उसके विरूद्ध इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। देखना यह है कि क्या कोई व्यक्ति धन के बदले शरीर देता है जो वेश्यावृत्ति की परिभाषा में आएगी। इसी प्रकार कोई लड़की किसी रेस्टोरेन्ट के पास घूमती हो इस इरादे के साथ कि वेश्यावृत्ति की जा सके, उसके इस कृत को इस धारा में दण्डित किया जा सकता है। प्रश्न उठता है कि किसी लड़की द्वारा यह कैसे समझा जाएगा कि वह वेश्यावृत्ति करने के इरादे से सार्वजनिक स्थल पर ऐसा किसी शब्दों से, आचरण या शरीर दिखाकर वेश्यावृत्ति का बुलावा देना इसी धारा के घेरे में आएगा। यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि कभी भी स्त्री ऐसे इशारे करती है कि वह उस व्यक्ति को नहीं पहुंच पाती जिसको वेश्यावृत्ति करने के लिए बुलाया जाने हेतु किया जाता है। उसके संबंध में यह न्यायालय का मत है कि यह जरूरी नहीं है कि वह इशारे या बुलावा उसी व्यक्ति की जानकारी में आए अपितु केवल इशारे कराना भी इस धारा में पर्याप्त अपराध माना जाएगा।

14. अभिरक्षा में स्त्री या लड़की की विलुब्ध करना, अपराध है:–

अधिनियम की धारा 9 में यदि–

(1) कोई व्यक्ति किसी स्त्री या लड़की को अपनी अभिरक्षा, अपने भाराधीन या देखरेख में रखते हुए उस स्त्री या लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए विलुब्ध किया जाने देगा या उसमें सहमत या उसका दुष्प्रेरण करेगा, प्रथम दोषसिद्धि पर एक वर्ष से अन्यून और तीन वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से तथा जुर्माने से भी, से जो एक हजाए रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए द्वितीय या पश्चावर्ती दोष सिद्धि की दशा में कोई व्यक्ति कारावास से जो पांच वर्ष तक हो सकेगा तथा जुर्माने से भी, जो एक हजार रुपए तक हो, सकेगा, दण्डनीय होगा।

कभी-कभी किसी लड़की की देखभाल करने वाला व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ में उस लड़की को गुमराह उससे वेश्यावृत्ति का धंधा करवाना शुरू कर देता है चूंकि वह लड़की उसकी संरक्षण में है या उस लड़की पर उसका प्रभाव है जिसका दुरूपयोग करके ऐसा कुकर्म करता है जिसको इस धारा में दुरूस्ती करने का उपाय है। कभी-कभी लड़की को नारी निकेतन भेज दिया जाता है जहां पर उस लड़की की संरक्षता नारी निकेतन के पास होती है अपने इस पद का दुरूपयोग करके जबकि कोई ऐसा व्यक्ति उस लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए बढ़ावा देती है, प्रोत्याहन देती हैं या रखती है उसको इस धारा में दण्डित किया जा सकता है। इसी प्रकार स्कूल की वार्डन, अनाथालय के संरक्षण सभी इसी घेरे में आएंगे।

15. वेश्यावृत्ति की शिकार महिलाओं के लिए अधिनियम की धारा 10 में सदाचरण की परिवीक्षा और संरक्षा गृह में निरोध की व्यवस्था है-

यह धारा इस प्रकार प्रावधानित करती है-

(1) (क) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 4, धारा 5, धारा 7 या धारा 8 के अधीन किसी अपराध के लिए प्रथम बार सिद्धदोष व्यक्ति, उसकी आयु, चरित्र, पूर्ववृत्त और उन परिस्थितियों को जिनमें वह अपराध किया गया था ध्यान में रखने हुए उस न्यायालय द्वारा जिसके समक्ष वह सिद्ध दोष किया जाता है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 562 की उपधारा (1) उपबंधित रीतिम सदाचरण की परिवीक्षा पर निर्मुक्त किया जा सकेगा।

(ख) धारा 7 या धारा 8 के अधीन किसी अपराध के लिए प्रथम बार सिद्धकोष कोई व्यक्ति उसकी आयु चरित्र, पूर्ववृत्तों और उन परिस्थितयों को जिनमें वह अपराध किया गया था ध्यान रखते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 562 की उपधारा (क) में उपबन्धित रीति में भर्त्सना देकर निर्युक्त किया जा सकेगा।

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 562 की उपधारा (2) उपधारा (3) और उपधारा (4) तथा धारा 563 और धारा 564 के उपबंध, खण्ड (क) और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट मामलों को लागू होंगे।

(2) जहां कोई स्त्री या लड़की 7 या धारा 8 के अधीन किसी अपराध के लिए विरूद्ध दोष होती है और उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन भर्त्सना देकर निर्मुक्त नहीं की जाती है वहां उस स्त्री या लड़की को सिद्धदोष करने वाला न्यायालय, उस स्त्री या लड़की की आयु, चरित्र, पूर्ववृत्त या उन परिथितियों को जिनमें वह अपराध किया गया था ध्यान में रखते हुए कारावास तथा जुर्माने के दण्डादेश के बदले में दो वर्ष से अन्यून और पांच वर्ष से अनाधिक की कालावधि के लिए किसी संरक्षा गृह में निरोधा दण्डादेश पारित कर सकेगा।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्गत किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 6 अथवा धारा 9 के अधीन सिद्धदोष हो परिवीक्षा पर या भर्त्सना देकर निर्मुक्त नहीं किया जायेगा।

चूंकि धारा 7 व 9 में यदि कोई लड़की या स्त्री दोषी पायी जाती है तो उसको चेतावनी देकर पहले अपराध में छोड़ना आवश्यक होगा। लेकिन ऐसे किसी अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ने के पहले परिवीक्षक की रिपोर्ट मंगवा लेनी चाहिए। इस धारा का संशोधन 1979 में किया गया है। चूंकि वेश्यावृत्ति के अन्तर्गत जो अपराध होता है उसकी मुख्यत: शिकार नारी ही होती है और नारी को प्राय: गरीबी के कारण पैसे वाले लोगों का शिकार बनना पड़ता है। कुछ लोग प्राय: वेश्यावृत्ति धंधे के रूप में चलाते हैं और इस पेशे को चलाने के लिए भोली-भाली लड़कियों को उनकी मजबूरी का शिकार बना लेते हैं। प्राय: यह भी देखने में आया होगा कि कुछ लड़के-लड़कियां अपने प्यार को धोखा देकर या शादी करके तलाक लेकर इस धंधे में डाल देते हैं कार्य करती हैं। इसलिए धारा 7 एवं 8 में जो दण्ड व्यवस्था है उसका प्रयोग बड़ी ईमानदारी से किया जाना चाहिए और इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि जो महिलाएं हालत की शिकार हुई हैं उनकी मजबूरी को समझकर उसे अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाना चाहिए।

जब किसी वेश्या को एक बार सजा हो जाती है तो उस व्यक्ति के लिए उस धंधे को छोड़ सकना बहुत मुश्किल होता है और समाज भी उसे आसानी से माफ नहीं करता जिसका परिणाम होता है कि वह स्वयं अपनी नजरों में हीन हो जाती हैं और अपने में उसका विश्वास जागृत नहीं होता है जहां तथा धारा 7 के अंतर्गत अपराध का प्रश्न है उसमें यदि कोई स्त्री किसी अन्य लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाती हैं। चूंकि वेश्यावृत्ति एक सामाजिक कलंक है और उसको साफ करने के लिए मौलिकता पर अधिक जोर दिया जाना आवश्यक है। यदि हम सभी परिवारों को खण्डित होने से बचाना चाहते हैं तो उसके अंदर मौलिक भावना को जागृत किया जाना आवश्यक है। सच तो यह है कि जो इस अपराध का मोहरा स्त्री होती है अपनी मर्जी से वेश्यावृत्ति नहीं करनी चाहती है और मजबूरीवश उसको यह धंधा अपनाना पड़ता हैं जितनी ही वेश्याओं का साक्षात्कार लिया गया सबकी यह इच्छा थी कि यह गंदगी है और वह अपनी लड़की को कभी नहीं चाहती कि वह यह धंधा करे जब वह स्त्री या अनुभव करती है कि यह गंदा है जो वेश्यावृत्ति में कमी क्यों नहीं आती। इसका मुख्य कारण यह पैसे वाले लोग हैं जो इस मजबूरी का लाभ उठाकर धंधा करने वालों को बढ़ावा देते हैं। इस सब वास्तविकताओं को

मद्देनजर रखते हुए यह प्राविधान निकाला कि जो भी महिलाएं इसकी अपराधी पाई जाये उनको सुधार का मौका दिया जाए और जेल की दीवारों में बंद न रहे और जेल की हवा भी न लगे इसलिए चेतावतनी की व्यवस्था की गई है।

जहां धारा 7 में चेतावनी पर छोड़े जाने की व्यवस्था है वहां यदि अपराध गंभीर प्रकृति का हो तो दोषी व्यक्ति पर कुछ समय की निगरानी किया जाना जरूरी हो तो उस निगरानी में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 3 वर्ष के बाद तक उसके चाल चलन पर निगरानी रखी जा सकती है। प्रोवेशन एक्ट की आवश्यकता इसलिए और भी जरूरी हो जाती है चूकि वेश्यावृत्ति का अपराध प्राय: व्यक्ति किसी की मजबूरी का लाभ उठाने के उद्देश्य से करता है और उस मजबूरी का कोई भी व्यक्ति लाभ न उठा पाए। इसलिए इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि जो भी स्त्री वेश्यावृत्ति करती है। वह उसकी मर्जी से नहीं होता है बल्कि मजबूरी होती है, जिसका निवारण करना है। अत: अपराध का मुख्य कारण सामाजिक मौलिकता का गिरना है और उपाय कुरीतियों को बढ़ाने से रोकना है।

16. भुगत भोगियों को सुधार गृह में रखना-

जिसकी व्यवस्था अधिनियम की धारा 10-ए में हैं वैसे तो जिन स्त्रियों या लड़कियों को धारा 7 व 8 में दोषी पाया जाता है उनकी प्राय: धारा 10 में लाभ देकर छोड़ दिया जाता है यह तभी उचित होगा यदि वह स्त्री या लड़की अपने ठीक राह पर आने लायक है। परन्तु जहां इस लड़की या स्त्री का कोई नहीं है तो ऐसी स्त्री या लड़की को सड़क पर छोड़ना ठीक होगा। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए धारा का सृजन किया गया है।

कोई भी स्त्री वेश्यावृत्ति करती है तो यह उसकी अपनी मजबूरी है परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि उसको समाज के वातावरण को दूषित करने के लिए छोड़ दिया जाए इस तरह एक तरफ तो उस स्त्री के कृत से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और दूसरी ओर समाज बुराई के कारण अर्थात् वहीं समाज उस स्त्री को वेश्यालय के दरवाजे पर लौटाता है। इसलिए दोनों ही दोषी हैं और स्त्री का कम और समाज का ज्यादा दोष है। अत: इस वास्तविकता के कारण ऐसी स्त्री जो अपराध करती है उसके प्रति सख्त कदम न अपना कर उसको पैरों पर खड़ा होने के लिए सुधार गृहों का प्राविधान किया जाता है। कि जहां लाभ अधिक प्रभावशाली नहीं है तो इस स्थिति में उसको धारा 10-ए में सुधार गृह में रहने दिया जाए, जिससे वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए शक्ति ग्रहण कर सके। इस तरह जहां पर भुगत भोगी स्त्री है इसलिए यह प्राविधान किया गया है। धारा 8 के अन्तर्गत जो स्त्री ऐसों का शिकार होती है उसके लिए भी धारा 10-ए में सुधार गृह में रखने का प्राविधान है।

जहां पर लाभ दिया जाए उसके स्थान पर 10 (2) में सुधार गृह में रखने का आदेश भी पारित किया जा सकता है।

सुधार गृह अधिनियम की धारा 10-ए के अंतर्गत आखिर सरकार को सुधार गृह बनाने की क्या आवश्यकता है। चूंकि यदि उन मजबूर स्त्रियों की देखभाल करने वाला कोई होता तो शायद वे वेश्या न बनती। सब तो यह है कि उनका जब अपना कोई नहीं होता तो वेश्यावृत्ति के जाल से छूटना मुश्किल हो जाता है कोई भी पति यह नहीं चाहेगा कि उसकी मां-बहन या पत्नी वेश्यावृत्ति करे जबकि ऐसी स्त्री का भाई, बेटा या पति सब रिश्ते तोड़ देता है यह रिश्ते नहीं निभाता तो विवश होकर वह स्त्री वेश्यालय के दरवाजे पर छोड़ दी जाती है। जब ऐसे बेसहारा स्त्री का कोई भी हाथ थामने वाला नहीं होता तो सरकार को उसे अपनी गोद में लेना पड़ता है। इसी गोद में पालने का काम सुधार गृह में रखने वाले केवल उनकी देखभाल ही नहीं करते बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने का सामर्थ्य भी देते हैं। इससे सभी की व्यवस्था और स्त्री को पुन: सम्मान देने का प्रयत्न भी किया जाता है। यह दूसरी बात है कि ऐसे सुधार गृह कभी शिकार गृह बनते नजर आते हैं और इसमें रहने वाले स्त्री शायद वेश्यालय में अधिक सुरक्षित सहसूस करती है। बजाय सुधार गृह के यह सचमुच शर्म की बात है और इसके लिए दोषी व्यक्ति के साथ कड़ाई से पेश आकर इसकी ऐसी छवि को समाप्त करना आवश्यक है ताकि इनका प्रयोजन सफल हो सके।

सुधार गृह में न्यायालय कम से कम दो वर्ष और अधिक से अधिक पांच वर्ष तक रहने का आदेश कर सकती है। ऐसे कोई आदेश पारित करने से पहले न्यायालय को उस दोषी स्त्री या लड़की को सुनना आवश्यक होगा और इस संबंध में आफिस रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी जब न्यायालय प्रस्तुत स्थिति और रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उचित समझता है कि सुधार गृह में रखा जाना न्यायसंगत है तभी न्यायालय को आदेश पारित करना होगा। ऐसे आदेशों के विरूद्ध अपील का प्राविधान भी है। न्यायालय द्वारा किसी स्त्री को सुधार गृह में रखने का आदेश पारित किया जाय तो उसके विरूद्ध संबंधित न्यायालय में अपील की जा सकती।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना - पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील - जनपद-

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ-

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/- (एक लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :-

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता -

नाम -